पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-II

दिनांक- 24.05.2026

मिशन शक्ति 5.0 -"डिजिटल सुरक्षा का मंत्र - सतर्कता, जागरूकता और हेल्पलाइन नंबर"

थाना मदेयगंज क्षेत्र के पतौरागंज में जाकर बालिकाओं को मिशन शक्ति 5.0 कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओ की सुरक्षा, नारी स्वावलंबन ,साईबर जागरूकता से बचाव हेतु और नए कानून के संबंध में किया जागरूक, हेल्प लाईन नम्बर एवं यूपी काप आदि योजनाओ के बारे में दी जानकारी।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में **श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर** के निर्देशन में जनपद लखनऊ में 54 थानों पर मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। जिसमें 01 निरीक्षक, 01 अतिरिक्त निरीक्षक,01 उपनिरीक्षक,01 महिला उपनिरीक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है।

मिशन शक्ति, उत्तर प्रदेश पुलिस की एक प्रमुख पहल, जिसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसकी नवीनतम कड़ी, मिशन शक्ति 5.0, के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में व्यापक स्तर पर जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं। इसी क्रम में, थाना मदेयगंज क्षेत्र के **पतौरागंज में** एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

आयोजक/ अयोजन स्थल / प्रतिभाग

- महिला मुख्य आरक्षी आरती थाना मदेयगंज, लखनऊ कमिश्नरेट
- महिला आरक्षी आशा कुमारी थाना मदेयगंज, लखनऊ कमिश्नरेट
- पतौरागंज थाना मदेयगंज लखनऊ में जाकर घरेलू महिलाओं एवं बच्चों को अपराधों की रोकथाम हेतु राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों विस्तृत जानकारी देते हुए पम्पलेट वितरित किया गया।

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 24.05.2026 को थाना मदेयगंज क्षेत्र स्थित पतौरागंज थाना मदेयगंज लखनऊ में जाकर घरेलू महिलाओं एवं बच्चों को डिजिटल सुरक्षा, महिला अधिकारों एवं नारी स्वावलंबन के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान साइबर अपराधों से बचाव के उपाय, सीईआईआर पोर्टल, यूपी-कोप ऐप के उपयोग, तथा 112, 1090, 1076, 101, 108 जैसी महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी प्रदान की गई। साथ ही, ओटीपी शेयर न करने, ऑनलाइन भुगतान में सतर्कता बरतने और डिजिटल अरेस्टिंग जैसी भ्रांतियों को दूर करने पर जोर दिया गया। इसके अलावा, थाने में संचालित महिला सुरक्षा केंद्र और मिशन शक्ति केंद्र की भूमिका से भी अवगत कराया गया तथा जागरूकता पंपलेट वितरित किए गए।

कार्यक्रम का उद्देश्य:

- महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाना।
- महिला शक्ति को प्रोत्साहित करना और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति सजग करना।
- छात्र-छात्राओं में मिशन शक्ति व साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाना।
- हेल्पलाइन नंबरो के बारे में विस्तार पूर्वक समझाना ।
- साइबर अपराधों के प्रति सजग करना।

स्कूल में उपस्थित बच्चो को निम्न बिंदुओं पर जागरूक किया गया:

1. हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी

* 1090 (वुमेन पावर लाइन)
* 112 (आपातकालीन सेवा)
* 181 (महिला सहायता हेल्पलाइन)

2. साइबर क्राइम से सुरक्षा के उपाय

* सोशल मीडिया पर गोपनीयता बनाए रखना
* साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 की जानकारी

बच्चो को बताया गया कि किसी भी प्रकार की संकट की स्थिति में वे तुरंत इन नंबरों पर संपर्क करें अथवा मैसेज के माध्यम से भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

उद्देश्य:

यह पहल निश्चित रूप से "बच्चो में महिला सुरक्षा, सम्मान और साइबर अपराधो के प्रति सजगता" के लक्ष्य की दिशा में एक मजबूत कदम है। ऐसे प्रयासों को और अधिक व लगातार जारी रखने की आवश्यकता है, ताकि एक सुरक्षित और न्यायसंगत समाज का निर्माण हो सके।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-I

दिनांक- 24-05.2026

मिशन शक्ति 5.0-अलीगंज के आँचलिक केंद्र में भ्रमणशील होकर बच्चियों को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में को सशक्त बनाने का अनूठा अभियान

थाना अलीगंज टीम द्वारा मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान के तहत आज दिनांक 24/05/2026 आँचलिक केंद्र में बच्चियों को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में किया गया जागरूक।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशन में जनपद लखनऊ में 54 थानों पर मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। जिसमें 01 निरीक्षक,01 अतिरिक्त निरीक्षक,01 उपनिरीक्षक, 01 महिला उपनिरीक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है।

अयोजक/आयोजन स्थल

जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित थाना अलीगंज, कमिश्नरेट लखनऊ पुलिस टीम-

- **उप निरीक्षक रविंद्र नाथ प्रजापति**
- **उप निरीक्षक शिवानी मिश्रा**
- **महिला कांस्टेबल दुर्गेश वर्मा**

- थाना अलीगंज के आँचलिक केंद्र में भ्रमणशील होकर बच्चियों को किया गया जागरुक।

प्रतिभाग-

जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित थाना अलीगंज, कमिश्नरेट लखनऊ पुलिस टीम-

- **उप निरीक्षक रविंद्र नाथ प्रजापति**
- **उप निरीक्षक शिवानी मिश्रा**
- **महिला कांस्टेबल दुर्गेश वर्मा**

- थाना अलीगंज के आँचलिक केंद्र में भ्रमणशील होकर बच्चियों को किया गया जागरुक

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित **मिशन शक्ति फेज-5.0 अभियान** के अंतर्गत आज दिनांक 24.05.2026 को आँचलिक केंद्र थाना अलीगंज, जनपद लखनऊ द्वारा क्षेत्र में महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक करते हुए महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण एवं साइबर सुरक्षा के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

कार्यक्रम के दौरान महिलाओं एवं बच्चियों को **महिला सुरक्षा से संबंधित हेल्पलाइन नंबर** जैसे **112, 1090, 181, 1076 एवं 1930** के बारे में जागरूक किया गया तथा आवश्यकता पड़ने पर इन सेवाओं का तत्काल उपयोग करने हेतु प्रेरित किया गया।

इसके अतिरिक्त महिलाओं को **महिला हेल्प डेस्क, महिला सुरक्षा केंद्र, पिंक बूथ, पिंक स्कूटी, यूपी कॉप एप एवं साइबर क्राइम से बचाव** के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। साइबर अपराधों से बचने हेतु ऑनलाइन फ्रॉड, फर्जी लिंक, ओटीपी शेयरिंग एवं सोशल मीडिया ठगी से सतर्क रहने के संबंध में भी जागरूक किया गया।
जागरूकता कार्यक्रम के दौरान महिलाओं एवं बालिकाओं को आत्मनिर्भर एवं सजग बनने हेतु प्रेरित करते हुए बताया गया कि किसी भी आपात स्थिति में पुलिस सदैव उनकी सहायता हेतु तत्पर है।

कार्यक्रम का उद्देश्य:

- महिलाओं एवं बच्चों में मिशन शक्ति व साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाना।
- हेल्पलाइन नंबरो के बारे में विस्तार पूर्वक समझाना।
- साइबर अपराधों के प्रति सजग करना।

मिशन शक्ति जागरूकता कार्यक्रम

मिशन शक्ति जागरूकता कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं एवं बच्चियों को उनके कानूनी अधिकारों, सुरक्षा उपायों और सहायता सेवाओं के प्रति संपूर्ण रूप से सजग और सशक्त बनाना था। इस कार्यक्रम के माध्यम से:

1. महिलाओं को उनके विरुद्ध होने वाले अपराधों की पहचान और रोकथाम के बारे में जानकारी दी गई।
2. महिला संबंधी सरकारी योजनाओं तथा हेल्पलाइन नंबरों (जैसे 1090, 181, 112, 1930 आदि) से अवगत कराया गया, ताकि आपात स्थिति में त्वरित सहायता प्राप्त की जा सके।
3. बच्चियों को बैड टच व गुड टच के प्रति सचेत किया गया और उन्हें व्यक्तिगत सुरक्षा के गुर सिखाए गए।
4. महिला हेल्प डेस्क व मिशन शक्ति केंद्रों की भूमिका से परिचित कराकर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया।
5. आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास का संदेश देकर महिलाओं और बालिकाओं को स्वावलंबी बनने की दिशा में प्रोत्साहित किया गया।

इस प्रकार, यह कार्यक्रम महिला सुरक्षा, कानूनी जागरूकता और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु एक सार्थक प्रयास साबित हुआ।

निष्कर्ष:

यह कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा जागरूकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। इसके माध्यम से न केवल महिलाओं और बच्चियों को उनके अधिकारों व सुरक्षा उपायों की जानकारी मिली, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा भी मिली। समाज में सकारात्मक बदलाव लाने हेतु इस प्रकार के आयोजन भविष्य में भी जारी रखने की आवश्यकता है।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-847

दिनांक-24.05.2026

जोन- उत्तरी/ थाना-मड़ियांव

- **थाना मडियांव पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 23.05.2026 को थाना मडियांव की पुलिस टीम देखभाल क्षेत्र, रोकथाम जुर्म जरायम, तलाश वांछित/वारन्टी में चौकी क्षेत्र केशवनगर में मौजूद थी कि जरिए मुखबिर खास सूचना प्राप्त हुई कि देशी शराब ठेके के पीछे कबाड़ मंडी में एक अपराधी प्रतीत हो रहा व्यक्ति अवैध देशी तमंचे के साथ खड़ा है यदि जल्दी किया जाये तो पकड़ा जा सकता है। मुखविरखास द्वारा बताये गये व्यक्ति को पुलिस टीम द्वारा पकड़ लिया गया।

पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम सौरभ उर्फ पीयूष पुत्र स्व. राजेन्द्र उम्र करीब 28 वर्ष मोहल्ला अजीजगंज गीहार बस्ती निकट जिला अस्पताल, थाना कोतवाली, जनपद शाहजहाँपुर बताया।

पकड़े गये व्यक्ति से 01 अदद अवैध देशी तमंचा .315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। बरामद तमंचे के सम्बन्ध में सौरभ उर्फ पीयूष उपरोक्त से लाइसेंस दिखाने हेतु कहा गया तो दिखाने से कासिर रहा और बताया कि साहब मैं इसे शौकिया रखता हूं एवं कभी कभी लोगों में भय दिखाने के काम आता है।

नियमानुसार कार्यवाही करते हुए मा0 सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशो का अक्षरशः पालन करते हुए पकड़े गये अभियुक्त को उसके द्वारा कारित जुर्म व धारा से अवगत कराते हुए दिनांक 23.05.2026 को समय करीब 22.55 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया।

बरामद अवैध देशी तमन्चा व कारतूस के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 242/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। ***आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना व जनपद से जानकारी की जा रही है।***

02.अपराध करने का तरीका (Modus Operandi):-

पकड़े गये अभियुक्त द्वारा तमंचा अवैध रूप से शौकिया रखना एवं लोगो को भय दिखाने के लिए रखना।

03.अभियुक्त का का विवरण:-

01. सौरभ उर्फ पीयूष पुत्र स्व. राजेन्द्र उम्र करीब 28 वर्ष मोहल्ला अजीजगंज गीहार बस्ती निकट जिला अस्पताल, थाना कोतवाली, जनपद शाहजहाँपुर (व्यवसाय –कबाड का काम)

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सौरभ उर्फ पीयूष उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं0 268/2016 धारा 398/401 भादवि थाना बारादरी जनपद बरेली
2. मु0अ0सं0 234/2016 धारा 380/411/457 भादवि थाना फरीदपुर जनपद बरेली
3. मु0अ0सं0 591/2016 धारा 392 भादवि थाना फरीदपुर जनपद बरेली
4. मु0अ0सं0 605/2016 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फरीदपुर जनपद बरेली
5. मु0अ0सं0 16/2024 धारा 398/401 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर

04.अनावरित अभियोगः-

01.मु0अ0सं0- 242/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मडियांव जनपद लखनऊ

05.बरामदगी का विवरणः-

- 01 अदद अवैध देशी तमंचा .315 बोर
- 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

06.गिरफ्तार करने वाली वाली पुलिस टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री शिवानन्द मिश्र
2. उ0नि0 श्री सत्येन्द्र कुमार
3. उ0नि0 अखिलेश कुमार
4. उ0नि0 पुष्पेन्द्र चौधरी
5. हे0का0 दुर्गेश सिंह
6. कां0 दिग्विजय सिंह

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-846

दिनांक-24.05.2026

जोन- उत्तरी/ थाना-मड़ियांव

- **थाना मडियांव पुलिस टीम द्वारा लूट, धोखाधड़ी एवं आईटी एक्ट के अभियोग में वांछित/इनामिया अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त के कब्जे से महिन्द्रा BE-6 इलेक्ट्रिक SUV वाहन सीज।**
- **वांछित अभियुक्त पर था 10000/- रूपये का इनाम।**

01-संक्षिप्त विवरण-

आवेदक श्री आनन्द कुमार वर्मा पुत्र स्व0 खेरेलाल वर्मा निवासी म0नं0 2/444 सेक्टर ओ मानसरोवर योजना एलडीए कालोनी कानपुर रोड आशियाना लखनऊ द्वारा थाना आशियाना पर मु0अ0सं0 365/24 धारा 392/325/342/506 भादवि व 66 डी आईटी एक्ट पंजीकृत कराया गया था। घटनास्थल थाना मडियांव लखनऊ से सम्बन्धित होने के कारण श्रीमान संयुक्त पुलिस आयुक्त महोदय अपराध एवं मुख्यालय लखनऊ के आदेशानुसार मुकदमा उपरोक्त थाना आशियाना से स्थानान्तरित होकर थाना मडियांव पर मु0अ0सं0 673/24 धारा 392/325/342/506 भादवि0 व 66 डी0 आईटी एक्ट बनाम 06 व्यक्ति नाम पता अज्ञात स्विफ्ट डिजायर कार सं0 यूपी 32 एम0एन0 3268 के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त में हिमांशु मिश्रा पुत्र स्व0 विमलेश मिश्रा निवासी राघव के मकान में किराये पर म0न0 616/102 बसंतविहार कालोनी थाना मडियांव जनपद लखनऊ स्थायी पता भरावन चौराहा के पास मुन्ना स्वीटहाउस के बगल में थाना अतरौली जनपद हरदोई उम्र करीब 25 वर्ष व अन्य का नाम प्रकाश में आया।

दिनांक 23.05.2026 को थाना मडियांव की पुलिस टीम देखभाल क्षेत्र रोकथाम जुर्म जरायम तलाश वांछित/इनामिया अभि0 हिमांशु मिश्रा में भिठौली तिराहे पर मौजूद थी। जरिए मूखबिरखास सूचना प्राप्त हुई कि वाँछित/इनामिया अभियुक्त हिमांशु मिश्रा को आप तलाश रहे है वह इस समय आईआईएम तिराहे के पास अजीजनगर में वाहन नं0 UP32RR0478 के साथ खडा है।

मुखबिरखास द्वारा बताये गये व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम हिमांशु मिश्रा पुत्र स्व0 विमलेश मिश्रा निवासी राघव के मकान में किराये पर म0न0 616/102 बसंतविहार कालोनी थाना मडियांव जनपद लखनऊ स्थायी पता भरावन चौराहा के पास मुन्ना स्वीटहाउस के बगल में थाना अतरौली जनपद हरदोई उम्र करीब 25 वर्ष बताया।

पकड़े गये व्यक्ति को उसके द्वारा कारित जुर्म मु0अ0सं0 673/24 जुर्म धारा 3394/325/342/506/420/467/468/120बी भादवि व 66 डी आईटी एक्ट थाना मडियांव जनपद लखनऊ से अवगत कराते हुए दिनांक 23/05/2026 समय करीब 19.25 बजे हिरासत पुलिस लिया गया तथा वाहन महिन्द्रा BE 6 ELECTROC SUV UP32RR0478 के कागजात न दिखाने पर अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया। दौराने गिरफ्तारी/निगरानी व बरामदगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों/निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया। विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना व जनपद से जानकारी की जा रही है।

02-अपराध का उद्देश्यः-

अभियुक्त द्वारा अपने सह अभियुक्तो के साथ मिलकर वादी मुकदमा को मकान में बन्द रखना तथा उसके रूपये आनलाइन स्थानान्तरित अन्य खातो में ट्रांसफर कर लेना एवं मोबाइल छीन लेना।

03-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः-

1. हिमांशु मिश्रा पुत्र स्व0 विमलेश मिश्रा निवासी राघव के मकान में किराये पर म0न0 616/102 बसंतविहार कालोनी थाना मडियांव जनपद लखनऊ स्थायी पता भरावन चौराहा के पास मुन्ना स्वीटहाउस के बगल में थाना अतरौली जनपद हरदोई उम्र करीब 25 वर्ष (व्यवसाय –एकाउंटेंट)

04-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री शिवानन्द मिश्र
2. उ0नि0 अखिलेश सिंह
3. उ0नि0 पुष्पेन्द्र चौधरी
4. हे0का0 आकाश सिंह
5. का0 मंजीत सिंह

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-846
दिनांक-24.05.2026

जोन- उत्तरी/ थाना-मड़ियांव

- **थाना मडियांव पुलिस टीम द्वारा लूट, धोखाधड़ी एवं आईटी एक्ट के अभियोग में वांछित/इनामिया अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त के कब्जे से महिन्द्रा BE-6 इलेक्ट्रिक SUV वाहन सीज।**
- **वांछित अभियुक्त पर था 10000/- रूपये का इनाम।**

01-संक्षिप्त विवरण-

आवेदक श्री आनन्द कुमार वर्मा पुत्र स्व0 खरेलाल वर्मा निवासी म0नं0 2/444 सेक्टर ओ मानसरोवर योजना एलडीए कालोनी कानपुर रोड आशियाना लखनऊ द्वारा थाना आशियाना पर मु0अ0सं0 365/24 धारा 392/325/342/506 भादवि व 66 डी आईटी एक्ट पंजीकृत कराया गया था। घटनास्थल थाना मडियांव लखनऊ से सम्बन्धित होने के कारण श्रीमान संयुक्त पुलिस आयुक्त महोदय अपराध एवं मुख्यालय लखनऊ के आदेशानुसार मुकदमा उपरोक्त थाना आशियाना से स्थानान्तरित होकर थाना मडियांव पर मु0अ0सं0 673/24 धारा 392/325/342/506 भादवि0 व 66 डी0 आईटी एक्ट बनाम 06 व्यक्ति नाम पता अज्ञात स्विफ्ट डिजायर कार सं0 यूपी 32 एम0एन0 3268 के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त में हिमांशु मिश्रा पुत्र स्व0 विमलेश मिश्रा निवासी राघव के मकान में किराये पर म0न0 616/102 बसंतविहार कालोनी थाना मडियांव जनपद लखनऊ स्थायी पता भरावन चौराहा के पास मुन्ना स्वीटहाउस के बगल में थाना अतरौली जनपद हरदोई उम्र करीब 25 वर्ष व अन्य का नाम प्रकाश में आया।

दिनांक 23.05.2026 को थाना मडियांव की पुलिस टीम देखभाल क्षेत्र रोकथाम जुर्म जरायम तलाश वांछित/इनामिया अभि0 हिमांशु मिश्रा में भिठौली तिराहे पर मौजूद थी। जरिए मूखबिरखास सूचना प्राप्त हुई कि वाँछित/इनामिया अभियुक्त हिमांशु मिश्रा को आप तलाश रहे है वह इस समय आईआईएम तिराहे के पास अजीजनगर में वाहन नं0 UP32RR0478 के साथ खडा है।

मुखबिरखास द्वारा बताये गये व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम हिमांशु मिश्रा पुत्र स्व0 विमलेश मिश्रा निवासी राघव के मकान में किराये पर म0न0 616/102 बसंतविहार कालोनी थाना मडियांव जनपद लखनऊ स्थायी पता भरावन चौराहा के पास मुन्ना स्वीटहाउस के बगल में थाना अतरौली जनपद हरदोई उम्र करीब 25 वर्ष बताया।

पकड़े गये व्यक्ति को उसके द्वारा कारित जुर्म मु0अ0सं0 673/24 जुर्म धारा 3394/325/342/506/420/467/468/120बी भादवि व 66 डी आईटी एक्ट थाना मडियांव जनपद लखनऊ से अवगत कराते हुए दिनांक 23/05/2026 समय करीब 19.25 बजे हिरासत पुलिस लिया गया तथा वाहन महिन्द्रा BE 6 ELECTROC SUV UP32RR0478 के कागजात न दिखाने पर अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया। दौराने गिरफ्तारी/निगरानी व बरामदगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों/निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया। विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना व जनपद से जानकारी की जा रही है।

02-अपराध का उद्देश्यः-

अभियुक्त द्वारा अपने सह अभियुक्तो के साथ मिलकर वादी मुकदमा को मकान में बन्द रखना तथा उसके रूपये आनलाइन स्थानान्तरित अन्य खातो में ट्रांसफर कर लेना एवं मोबाइल छीन लेना।

03-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः-

1. हिमांशु मिश्रा पुत्र स्व0 विमलेश मिश्रा निवासी राघव के मकान में किराये पर म0न0 616/102 बसंतविहार कालोनी थाना मडियांव जनपद लखनऊ स्थायी पता भरावन चौराहा के पास मुन्ना स्वीटहाउस के बगल में थाना अतरौली जनपद हरदोई उम्र करीब 25 वर्ष (व्यवसाय –एकाउंटेंट)

04-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री शिवानन्द मिश्र
2. उ0नि0 अखिलेश सिंह
3. उ0नि0 पुष्पेन्द्र चौधरी
4. हे0का0 आकाश सिंह
5. का0 मंजीत सिंह

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-849

दिनांक-24.05.2026

जोन-पश्चिमी/थाना-कैसरबाग

- **कैसरबाग पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थानों से लाइट आदि की चोरी करने वाले 02 शातिर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से फसाड लाइटें व स्टील की लाइट जाली बरामद।**

01- संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 16.05.2026 को थाना कैसरबाग पर वादी श्री रिजवान हुसैन पुत्र जमशेद हुसैन नि0 म0नं0 392/52/क मैदान एलएच खान निकट हिजा अस्पताल सआदतगंज लखनऊ द्वारा लिखित सूचना बावत प्रतिवादी अज्ञात द्वारा मकबरा सआदत अली खां परिसर मे लगी फसाड लाइटें चोरी कर लेने के सम्बन्ध में दाखिल किया। इस सूचना के आधार पर मु0अ0सं0- 87/2026 धारा 303(2) बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। अभियोग उपरोक्त की विवेचना उ0नि0 चंदन कुमार मिश्रा द्वारा की जा रही है।

विवेचना के क्रम में थाना कैसरबाग पुलिस द्वारा मुल्जिमान की तलाश की जा रही थी तथा घटनास्थल के आस पास लगे सी0सी0टी0वी0 कैमरों के फुटेज का अवलोकन किया गया तथा मुखबिर मामूर किये गये। जरिये मुखबिर सूचना मिली कि आपके मुकदमें में चोरी करने वाले मुल्जिमान इस समय सआदत अली मकबरा पार्क के पास मौजूद है तथा कहीं जाने की फिराक में है।

इस सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना कैसरबाग पुलिस टीम रवाना होकर सआदत अली मकबरा पार्क के पास पहुंची। पुलिस टीम ने छिपकर हिकमत अमली से पार्क के अन्दर जाकर रोका टोका गया तो मुल्जिमान भागना चाहे लेकिन घेर घारकर पकड लिया गया। पकडे गये व्यक्ति ने पूछने पर अपना नाम 1. अल्तमश खान पुत्र स्व0 बदरुद्दीन नि0 500/79 कुतुबपुर चमन पार्क के पास थाना हसनगंज लखनऊ 2. सोहेल पुत्र इस्लाम नि0 500/291 कुतुबपुर थाना हसनगंज लखनऊ बताया भागने का कारण पूछने पर बताया कि हम लोग छिपकर यहां लाईट चोरी करने आये थे पकडे जाने के डर से आप लोगो को देखकर भागना चाहा, पहले भी कई लाईटे चोरी कर चुके है पार्क के गार्ड हम लोगो के ढूंढ रहे है लाईटो को राह चलते बेचकर नशे व शौक पूरा करने मे खर्च कर देते है।

पूर्व मे चोरी की गयी लाईटो के बारे मे पूछा गया तो इधर उधर की बाते करने लगे कडाई से पूछताछ करने पर बताया कि कुछ लाईटे हम लोग चुराकर छिपाकर रखे है यदि आप कहे तो चलकर बरामद करा सकते है। पुलिस टीम द्वारा मौके पर ही पकडे गये व्यक्ति के साथ उनके निशादेही पर राजाराम पाल पार्क के पास पहुंचकर पत्तियो के ढेर मे छिपाकर रखी गयी 10 फसाड लाईटे फिलिप्स कम्पनी व 3 स्टील की जाली बरामद कर लिया। पकडे गये अभियुक्तों को उनके द्वारा किए गये कृत्यो से बखूबी अवगत कराते हुए दिनांक 24.05.2026 को समय करीब 00.50 बजे बकायदा बजाफ्ता मौके पर ही हिरासत पुलिस में लिया गया। मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) BNS की वृद्धि करते हुए अभियुक्तगण उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

02-अभियुक्त से पूछताछ का विवरण-

पूछताछ पर अभियुक्त गण द्वारा बताया गया कि वे पार्कों आदि सार्वजिनक स्थानों से लाइटों आदी चुरा कर बेंचते हैं तथा लाईटो को राह चलते बेचकर नशापत्ती शान शौकत मे खर्च कर देते है। थाना कैसरबाग में सआदत अली मकबरा के पार्क मे लगी 10 अदद फसाड लाईटो तथा 03 अदद स्टील की लाईट जाली की चोरी अभियुक्त गण उपरोक्त द्वारा की गयी थी।

03-पंजीकृत/अनावरित अभियोग का विवरण-

1.मु0अ0सं0 87/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कैसरबाग लखनऊ।

04-गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

(1) अल्तमश खान पुत्र स्व0 बदरुद्दीन नि0 500/79 कुतुबपुर चमन पार्क के पास थाना हसनगंज लखनऊ उम्र 19 वर्ष

(2) सोहेल पुत्र इस्लाम नि0 500/291 कुतुबपुर थाना हसनगंज जनपद लखनऊ उम्र 23 वर्ष

05-बरामदगी-

- फसाड लाईट फिलिप्स कम्पनी – 10 अदद
- स्टील की लाईट जाली – 03 अदद

06-गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 चन्दन कुमार मिश्रा – प्रभारी कलेक्ट्रेट
2. उ0नि0 अरविन्द कुमार – प्रभारी मकबूलगंज
3. उ0नि0 प्रशान्त कुमार – प्रभारी सब्जीमंडी
4. का0 अनीश वर्मा – थाना कैसरबाग लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-
दिनांक-24.05.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना-गोसाईगंज

- **थाना गोसाईगंज पुलिस टीम द्वारा सुनियोजित हमला कर वाहनों में तोड़फोड़ करने वाले गुज्जर गैंग के 09 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **पूर्व में दिनांक-21.05.2026 को नामित अभियुक्त आजाद रावत की गिरफ्तारी के उपरान्त आज दिनांक-24.05.2026 को 09 अन्य अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 20.05.2026 को वादी मुकदमा द्वारा तहरीर दिया गया कि दिनांक 19/05/2026 की मध्य रात्रि प्रार्थी के घर पर लगभग 25 से 30 अज्ञात लोग, 02 चार पहिया डाला व 01 चार पहिया गाड़ी से लाठी डण्डे, राड़ आदि सहित एकराय होकर सुनियोजित तरीके से हमला करके प्रार्थी के घर पर खड़ी दो पहिया आर 15, दो पहिया अपाचे, चार पहिया स्वीफ्ट डिजायर को उक्त लोगों ने मिलकर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसकी जानकारी होने पर प्रार्थी ने विपक्षीगण उपरोक्त लोगो से इसका विरोध किया तो उक्त लोगों के द्वारा प्रार्थी को जान से मार देने की धमकी देकर मारने पीटने के लिए दौड़ा लिया और गाली गलौज करते हुए कहा कि हमसे पंगा लेने का नतीजा देख लिया। उक्त घटना के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 192/26 धारा 131/352/351(3)/324(4)/191(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

02-पूछताछ विवरण एंव माड्यूस आपरेंडी-

थाना गोसाईगंज को घटना की जानकारी होने पर प्रभारी निरीक्षक डी.के. सिंह द्वारा घटना के त्वरित व सफल अनावरण के लिये 02 पुलिस टीमों का गठन किया गया। पुलिस टीम के द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे थे कि दिनांक 21.05.2026 को नामित अभियुक्त आजाद रावत पुत्र सोहन लाल उम्र करीब 21 वर्ष निवासी काजीखेडा थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जिसके पश्चात अन्य अभियुक्तो के सम्बन्ध में जानकारी / सुरागरसी पतारसी करते हुए आज दिनांक 24.05.2026 को मुखबिर खास की सूचना पर गुज्जर गैंग के कुल 09 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया।

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. ज्वाला रावत पुत्र विजय रावत निवासी ग्राम सिटकिया कलां थाना गोसाईगंज लखनऊ
2. सौरभ उर्फ गोलू पुत्र लक्ष्मी प्रसाद निवासी मेढई का पुरवा मजरा निजामपुर थाना गोसाईगंज लखनऊ
3. संकेत उर्फ लवकुश पुत्र रामभजन निवासी मुल्लाखेड़ा थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखऩऊ
4. मन्नू उर्फ मन्नो पुत्र अगनू रावत निवासी बाजार मध्य वार्ड नं0-9 कस्बा व थाना गोसाईगंज लखनऊ
5. संदीप पुत्र सुदेश निवासी बाजार मध्य वार्ड नं0. 09 कस्बा गोसाईगंज थाना गोसाईगंज लखनऊ
6. नीरज पुत्र सजीवन लाल निवासी ग्राम बेगरियामऊ थाना गोसाईगंज लखनऊ
7. अंकित पुत्र पुत्र रामभजन निवासी मुल्लाखेड़ा थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखऩऊ
8. शिवा रावत पुत्र अंजनी रावत निवासी निजामपुर थाना गोसाईगंज लखनऊ
9. शिव वालक पुत्र भागीरथ निवासी ग्राम सिटकिया कलां थाना गोसाईगंज लखनऊ

04-आपराधिक इतिहास-

- ***अभियुक्त सौरभ उर्फ गोलू के विरुद्ध कुल 01 अभियोग पंजीकृत हैं-***
  1. मु0अ0सं0-387/2024 धारा 115(2), 117(2), 351(3) बीएऩएस थाना गोसाईगंज लखनऊ
- ***अभियुक्त नीरज के विरुद्ध कुल 01 अभियोग पंजीकृत हैं-***
  1. मु0अ0सं0-0043/2023 धारा 147, 308, 325, 354(क), 504 बीएऩएस व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना गोसाईगंज लखनऊ

05- पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1.मु0अ0सं0-192/2026, धारा 131/352/351(3)/324(4)/191(2) बीएनएस थाना गोसाईगंज, लखनऊ

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- **कोतवाली गोसाईगंज पुलिस टीम, कमिश्नरेट लखनऊ।**

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-V

दिनांक- 24.05.2026

मिशन शक्ति 5.0

जागरूकता ही कवच है, सुरक्षित हर पल, सशक्त हर भविष्य।

थाना बंथरा पुलिस टीम द्वारा मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायत रतौली बंथरा में जाकर महिलाओं/बालिकाओं को यातायात, साइबर सुरक्षा, मिशन शक्ति अभियान के तहत बाल एवं महिला से सम्बंधित पुलिस हेल्पलाइन नंबर, महिला हेल्प डेस्क, पिंक बूथ, साइबर क्राइम, यूपी कॉप एप के बारे में किया जागरूक।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान एक सराहनीय कदम है जो महिला सशक्तिकरण के संदेश को देश के कोने-कोने तक पहुँचाने में मदद कर रहा है। यह न केवल महिलाओं को उनकी शक्ति का अहसास कराता है बल्कि एक सुरक्षित, सम्मानजनक और समान समाज के निर्माण की नींव रखता है।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशन में जनपद लखनऊ में 54 थानों पर मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। जिसमें 01 निरीक्षक,01 अतिरिक्त निरीक्षक,01 उपनिरीक्षक,01 महिला उपनिरीक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है।

आयोजक/आयोजन स्थल

- महिला उपनिरीक्षक सीमा सिंह, थाना बंथरा लखनऊ कमिश्रेट
- उपनिरीक्षक रमेश चन्द्र, थाना बंथरा लखनऊ कमिश्नरेट
- उपनिरीक्षक सत्यनारायण तिवारी, थाना बंथरा लखनऊ कमिश्नरेट
- महिला आरक्षी रंजन सरोज, थाना बंथरा लखनऊ कमिश्नरेट
- ग्राम पंचायत रतौली बंथरा में जाकर महिलाओं/बालिकाओं एवं लोगों को किया गया जागरूक।

प्रतिभाग-

- महिला उपनिरीक्षक सीमा सिंह, थाना बंथरा लखनऊ कमिश्रेट।
- उपनिरीक्षक रमेश चन्द्र, थाना बंथरा लखनऊ कमिश्नरेट।
- उपनिरीक्षक सत्यनारायण तिवारी, थाना बंथरा लखनऊ कमिश्नरेट।
- महिला आरक्षी रंजन सरोज, थाना बंथरा लखनऊ कमिश्नरेट।
- ग्राम पंचायत रतौली बंथरा में जाकर महिलाओं/बालिकाओं एवं लोगों को किया गया जागरूक।

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 24.05.2026 दिन रविवार को ग्राम पंचायत रतौली बंथरा में जाकर महिलाओं/बालिकाओं एवं बच्चों को सरकार की तरफ से चलने वाली विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं मिशन शक्ति 5.0 के तहत हेल्पलाइन नंबर 1098,1076,112, 112,1090,101,108,102,1930,181, व यूपी कॉप एप के बारे में जानकारी देते हुए जागरूक किया गया। तथा साइबर के बचाव के सम्बंध में जानकारी दी गई l

मिशन शक्ति के अंतर्गत सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं में सुरक्षा, सशक्तिकरण एवं कानूनी जागरूकता को बढ़ावा देना था। महिलाओं को बताया गया कि कौन-कौन से आचरण एवं व्यवहार अपराध की श्रेणी में आते हैं तथा ऐसे मामलों में कानून किस प्रकार उनकी सहायता करता है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित महिलाओं को महिला संबंधी अपराधों के प्रति सतर्क एवं जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान के अंतर्गत ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव के उपाय भी बताए गए। उन्हें यह भी बताया गया कि ओटीपी (OTP) या व्यक्तिगत जानकारी किसी अज्ञात व्यक्ति से साझा न करें तथा ऑनलाइन लेन-देन करते समय विशेष सावधानी बरतें।

महिलाओं को विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों — 1076, 1090, 112, 181, 1930, 102, 108 — की जानकारी दी गई ताकि वे आवश्यकता पड़ने पर तुरंत सहायता प्राप्त कर सकें। इसके अतिरिक्त, थाना स्तर पर संचालित महिला सुरक्षा केंद्र, महिला हेल्प डेस्क एवं मिशन शक्ति केंद्र की सेवाओं के बारे में भी विस्तार से बताया गया, जिससे महिलाएँ इन केंद्रों से परामर्श एवं त्वरित सहायता प्राप्त कर सकें। साथ ही, उपस्थित महिलाओं एवं बच्चों को गुड टच–बैड टच, पॉक्सो एक्ट, एवं महिला उत्पीड़न से संबंधित कानूनी प्रावधानों के बारे में भी शिक्षित किया गया।

कार्यक्रम के उद्देश्य

1. कानूनी जागरूकता

महिलाओं को उन आचरणों एवं व्यवहारों की जानकारी दी गई जो अपराध की श्रेणी में आते हैं। उन्हें अपने अधिकारों एवं कानूनी सीमाओं के प्रति जागरूक किया गया ताकि वे आत्मरक्षा और न्याय की दिशा में सशक्त बन सकें।

2. साइबर सुरक्षा एवं ऑनलाइन जागरूकता

महिलाओं को साइबर अपराधों से बचाव के उपाय बताए गए। उन्हें यह समझाया गया कि किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें, ओटीपी या बैंक संबंधी जानकारी साझा न करें, और किसी भी ऑनलाइन फ्रॉड की स्थिति में तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर संपर्क करें।

3. सहायता केंद्रों की जानकारी

थाना स्तर पर संचालित महिला सुरक्षा केंद्र, महिला हेल्प डेस्क, एवं मिशन शक्ति केंद्र की उपलब्ध सेवाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। महिलाओं को बताया गया कि वे इन केंद्रों से सहायता, परामर्श एवं शिकायत दर्ज करने हेतु संपर्क कर सकती हैं।